

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-23012/05/2013-अ.भा.से- III

भारत सरकार


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

अधिसूचना

वर्ष 1982 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त और पश्चिम बंगाल संवर्ग में धारित श्री भास्कर चंद्र खुल्बे को अपना नाम श्री भास्कर चंद्र खुल्बे से बदलकर श्री भास्कर खुल्बे करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, उन्हें सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए श्री भास्कर खुल्बे के रूप में जाना जाएगा।


(नवनीत मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद (हरियाणा)